प्रकरण संख्या 113/2017 कन्हैयालाल व अन्य बनाम गिरधारीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बूझडा, तहसील गिर्वा में खाता संख्या 227 की आराजी नंबर 1515 रकबा 0.0900 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1578 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा है तथा खाता संख्या 104 की आराजी नंबर 1510 रकबा 0.0700 हैक्टर में वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/6 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 141 की आराजी नंबर 435, 436, 2261/433 कुल किता 3 रकबा 0.3350 हैक्टर में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 13 का 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजियात का मौके पर अभी विभाजन नहीं हुआ है, पक्षकारान आपसी तौर पर ही विभाजन कर काश्त कर रहे हैं, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से पक्षकारों के मध्य विवाद होता है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 2 से 4 वर्णित आराजियात का उसमें अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 11.05.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.08.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पानेरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित हुए तथा अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] शर्मा उपस्थित हुए।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। हाल ही में पटवारी हल्का से उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण द्वारा जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत की गयी है, क्योंकि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को निर्णय पारित करने की दिनांक को ही हो गयी थी, पटवारी हल्का से जानकारी होने का कथन गलत है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.05.2017 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 09.08.2017 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समय सीमा 60 दिवस होकर अपील दिनांक 10.07.2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील करीब 1 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो अल्प विलम्ब होने एवं माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों अनुसरण में कि प्रकरण का निस्तारण जहां तक संभव हो गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। तद्नुसार प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर बिना अवलोकन किये कयासी आधारों पर आराजी नंबर 1515, 1578 व 1510 के संबंध में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि प्रकरण राजस्व लोक अदालत [illegible] की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी है न ही पक्षों में कोई सहमति हुई है, फिर भी प्रकरण बिना सूचना दिये [illegible] कैम्प में रखकर मात्र 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested

आराजी बाबत् विभाजन की डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा आराजी नंबर 1515, 1578, 1510, 435, 436, 2261/433 बाबत् विभाजन की दाद चाही गयी थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर मात्र तीन आराजी नंबर 1515, 1578, 1510 बाबत् ही विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.04.2017 अनुसार प्रकरण में जवाब हेतु दिनांक 11.07.2017 की पेशी नियत की गयी, किन्तु उसके 2 माह पूर्व ही दिनांक 11.05.2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी, जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा उक्त राजस्व कैम्प की सूचना पक्षकारान को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 174/2004 निर्णय एवं डिक्री 11.05.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested